संख्या-4/2023/404/77-6-23-01(मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना)/2023

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2023**

विषय- 'मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना' की रूप-रेखा तथा उसके क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1046/इन्वेस्ट यू0पी0/2022-23, दिनांक 12.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इन्वेस्ट यू0पी0 के कार्यों एवं दायित्वों में विविधीकरण एवं बहुआयामी वृद्धि होने के दृष्टिगत मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत एक वर्ष के अनुबन्ध के आधार पर 'उद्यमी मित्र' के 105 पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव यथा 'मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना' की रूप-रेखा एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में 'उद्यमी मित्र' के 105 पद के सृजन- पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है-

1. **नियुक्ति प्राधिकारी**

   नियुक्ति प्राधिकारी-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी नियुक्ति प्राधिकारी होगें।

2. **न्यूनतम अर्हता एवं चयन का मानदण्ड**

   - न्यूनतम 60 प्रतिशत् अंको के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए),
   - धाराप्रवाह हिंदी तथा अंग्रेजी में बोलने के साथ टंकण-कार्य में प्रवीणता। किसी अन्य विदेशी भाषा के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी।
   - कम्प्यूटर का उपयोग करने में निपुण तथा माइक्रोसाफ्ट आफिस (वर्ड,एक्सेल तथा पी.पी.टी) में कार्य करने का अनुभव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- फील्ड वर्क के लिए सहमति।

3. **कार्य का अनुभव**

- व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री(एम.बी.ए) के पश्चात मैनेजमेन्ट ट्रेनी/ विश्लेषक/बैंकिग में एसोसियेट /कन्सल्टिंग /मार्केट रिसर्च आर्गनाइजेशन अथवा ग्राहकोन्मुखी सेवा पृष्ठभूमि की किसी निजी/सार्वजिनिक कम्पनी में न्यूनतम 01 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
- इंडिया मार्केट इन्ट्री प्रोजेक्ट्स में अनुभव होने पर वरीयता।

- अभ्यर्थी को निम्नलिखित किसी भी एक क्षेत्र में शिक्षा अथवा कार्य अनुभव होना चाहिएः-
  - अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास,
  - डिफेंस, एयरोस्पेस, नागरिक उड्डयन एवं एमआरओ,
  - वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स,
  - आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस,
  - स्टार्टअप,
  - हथकरघा एवं टेक्सटाइल,
  - कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्र,
  - पर्यटन एवं फिल्म,
  - नवीकरणीय ऊर्जा एवं अपशिष्ट से ऊर्जा,
  - इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण,
  - फार्मा एवं हेल्थकेयर,
  - शिक्षा - कौशल विकास,
  - जल क्षेत्र, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
  - वन, पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण,
  - स्वास्थ्य एवं पोषण,
  - आवास एवं शहरी विकास,
  - पर्यटन एवं संस्कृति,
  - बैंकिंग, वित्त एवं राजस्व,
  - सार्वजनिक नीति एवं शासन,
  - आवश्यकतानुसार कोई अन्य क्षेत्र।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. इन्वेस्ट यूपी के वेबसाइट या विशेष रूप से इस उद्देश्य हेतु विकसित किये जाने वाले पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएगें।

5. **आयु सीमा-** आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए।

6. **योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कुल 105 पद सृजित किये जायेंगेः-**

- जनपदों हेतु -70 पद
- इन्वेस्ट यूपी कार्यालय/मुख्यालय हेतु-10 पद
- औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु-25 पद

7. **भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व-** निम्नलिखित सूची में अंकित कार्यों के अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी दिये जा सकते हैं-

- आवंटित क्षेत्र में निवेशकों के साथ परियोजना-स्थल का दौरा करना,
- स्थानीय उत्तरदायित्व क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना,
- सम्पूर्ण निवेश की प्रक्रिया यथा निवेश आशय प्रपत्र का भरा जाना, एल.ओ.सी. निर्गत कराना, भूमि का चिन्हांकन, चयनित जनपदों के अन्तर्गत बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु निवेशकों को रिसीव करके उनके साथ उपस्थित रहना एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागो से स्वीकृतियों के सम्बन्ध में समन्वय एवं निवेश मित्र तथा निवेश सारथी पोर्टल आदि के नेविगेशन में सहायता प्रदान करना,
- निवेशकों की पृच्छाओं को निराकरण हेतु जिला उद्योग बन्धु की बैठकों में प्रतिभाग करना,
- निवेश सारथी पोर्टल पर निवेशकों की समस्याओं तथा उनके विद्यमान प्रास्थिति को अपलोड करना,
- इन्वेस्ट यूपी की अन्य टीमों यथा- निवेश मित्र, प्रोत्साहन अनुश्रवण प्रकोष्ठ, सुविधा प्रकोष्ठ आदि के साथ समन्वय करना,
- जिला प्रशासन, सामान्य प्रबन्धक-जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एवं विभिन्न प्राधिकरणों जैसे-नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपीसीडा, यूपीडा तथा गीडा आदि से लैण्ड पार्सल्स के चिन्हीकरण तथा निवेशकों के प्रश्नों/पृच्छाओं के समाधान हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय करना,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- निवेशकों की आवर्ती समस्याओं का समाधान करना तथा शिकायत निस्तारण हेतु उनकी निवेश योजनाओं/उनके क्षेत्र (सेक्टर) से सम्बंधित संचालन की समस्याओं व प्रकरणों का त्वरित निवारण करना,
- विद्यमान निवेशकों के साथ संबंधों का प्रबंधन तथा सर्वेक्षण, निवेश से सम्बंधित प्रकरणों को हल करना एवं उनकी विस्तारीकरण की योजनाओं को सुगम बनाना, इन्वेस्ट यूपी टीम के साथ समन्वय से परियोजना स्थापना के उपरांत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों के समाधान हेतु आफ्टर केयर(Aftercare) रणनीति को विकसित करने एवं निष्पादित करने के लिए नीतिगत फीडबैक को संकलित करना तथा नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करना।

8. **रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ व उत्तरदायित्व**

- 'उद्यमी मित्र' मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी को रिपोर्ट करेगें।
- इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जनपद में तैनात होने वाले 'उद्यमी मित्र' जिलाधिकारी को एवं प्राधिकरण स्तर पर तैनात होने वाले 'उद्यमी मित्र' संबंधित प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।
- उद्यमी मित्रों के कार्यो का प्रबंधन निवेश सारथी के माध्यम से या विशिष्ट रूप से इस कार्य हेतु पृथक पोर्टल सृजित किया जाएगा।
- प्रत्येक 'उद्यमी मित्र' को निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र तथा निवेशको के सम्बन्ध का प्रबंधन निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट में उद्यमी मित्रों द्वारा साइट, बैठक एंव बिल इत्यादि के फोटो आनलाइन प्रस्तुत किये जाएगें। उनके द्वारा प्रेषित की गई प्रगति रिपोर्ट का मंडलीय निवेश प्रकोष्ठ द्वारा पुनरावलोकन किया जाएगा। रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश होना चाहिए-
  - सेवित निवशकों की संख्या,
  - पृच्छाओं के सम्बन्ध में दिए गये उत्तरों की संख्या,
  - निस्तारित किए गये प्रकरणों की संख्या,
  - आवेदित स्वीकृतियों के सापेक्ष अनुश्रवण के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियां,
  - नीति/ई.ओ.डी.बी विषयक सुझाव के कार्यान्वयन की स्थिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- निविदा विस्तार हेतु प्रस्तुत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का पुनरावलोकन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा किया जाएगा।

9. **पारिश्रमिक**

- मूल नियत भत्ता प्रतिमाह रू 30,000/- ,
- मकान किराया भत्ता प्रतिमाह रू 10,000/-,
- निवेशक को सुविधा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त भत्ता प्रतिमाह रू 10,000/-,
- यात्रा एवं परियोजना-स्थल के भ्रमण से संबंधित कार्य हेतु प्रतिमाह रू 20,000 का अतिरिक्त भुगतान,
- टेबलेट क्रय करने हेतु रू 15,000 का एकमुश्त भुगतान ।

'उद्यमी मित्र' को दिये जाने वाले पारिश्रमिक, भत्ते एवं टेबलेट क्रय पर आने वाले व्यय का वहन इन्वेस्ट यूपी के बजटीय व्यवस्था से किया जाएगा।

10. **अनुबंध की अवधि**

- नियत अनुबंध अवधि 1 वर्ष की होगी।
- अनुबंध को केवल 12 माह की अवधि के लिए एक बार नवीनीकृत किया जा सकता है।
- अनुबंध का नवीनीकरण की दशा में निर्धारित पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत् की वृद्धि की जाएगी।
- अनुभव प्रमाण-पत्र कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात अंत में प्रदान किया जाएगा।
- रू.100.00 मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर शपथ-पत्र के माध्यम से उद्यमी मित्र हेतु चयनित अभ्यर्थी एवं इन्वेस्ट यू0पी0 के मध्य अनुबंध का गठन किया जाएगा। अनुबंध की शर्तें पृथक रूप से निरूपित की जाएंगी।
- जनपदों/प्राधिकरणों/इन्वेस्ट यू0पी0 में उद्यमी मित्रों की तैनाती से पूर्व उन्हें एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

11. **अवकाश**

- एक वर्ष में प्रो-रेटा आधार पर 12 अवकाश प्रदान किए जाएंगे।

12. **चयन प्रक्रिया**

- भर्ती के लिए आवेदन इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने चाहिए।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- उद्देश्य का कथन (Statement of purpose) (500 शब्दों में) आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
- आवेदनों के परीक्षण हेतु वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों की एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी।
    - निम्नलिखित किसी भी आधार पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है
    - अस्पष्ट आवेदन
    - द्विरावृत्ति (Duplication): एक फोन नंबर व ईमेल आईडी से दो या इससे अधिक पंजीकरण होने पर,
    - शैक्षिक योग्यता: व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम0बी0ए0) में न्यूनतम 60 प्रतिशत से कम अंक होने पर,
    - आवेदन करने की अंतिम तिथि को आयु 25 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक होने पर,
    - उद्देश्य-कथन (Statement of purpose) अपलोड करने में विफलता।
- स्क्रीनिंग कमेटी में निम्न अधिकारी सम्मिलित होगें:-
    - अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी
    - इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी।

13. **मूल्यांकन-मानदंड**

- मूल्यांकन के उद्देश्य से स्क्रीनिंग कमेटी के साथ-साथ साक्षात्कार समिति का गठन पृथक से किया जायेगा।
- साक्षात्कार हेतु आवेदकों के चयन हेतु स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समस्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी।

14. **शैक्षिक योग्यता, अन्य मानदंड, कार्य का अनुभव एवं शीर्ष कम्पनियों/सरकारी संस्था में नियुक्त कार्मिकों को दिये जाने वाले भारांक (कुल 50 अंक) का विवरण**

- स्क्रीनिंग समिति द्वारा पात्र आवेदकों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे:

क्र.सं.	**मानदंड**	**अधिकतम अंक**
A	**शिक्षा**	**20**
1	स्नातकोत्तर 60 प्रतिशत के साथ	10
2	स्नातकोत्तर 70 प्रतिशत के साथ	15

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3	स्नातकोत्तर 75 प्रतिशत के साथ	17.5
4	स्नातकोत्तर 80 प्रतिशत के साथ	20
B	**अन्य मानदंड**	**5**
1	a) प्रतिष्ठित संस्थान (आई.आई.टी/ आई.आई.एम.) b) केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय/ एन.आई.टी. के परा-स्नातको को नवीनतम एन.आई.आर.एफ रैकिंग के अधार पर अंक निर्धारित किये जाएगें, जो सम्मुख अंकित हैं:- **रैकिंग** 1 से 30 31 से 50 51 से ऊपर	3 3 2 1
2	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानो द्वारा पुरस्कार पाने पर	2
C	**कार्य का अनुभव**	**20**
1	1 वर्ष से कम	0
2	1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम	10
3	2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम	15
4	3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक	20
D	भारत के शीर्ष कम्पनियां (फार्चून ग्लोबल 500, इकोनामिक्स टाइम्स-200, फोर्ब्स ग्लोबल-2000/एशिया बेस्ट-200 के पूर्ण कालिक रूप से नियुक्त कार्मिक **अथवा** किसी भी सरकारी संस्था में नियुक्त कार्मिक	**5**

15. **एस.ओ.पी (S.O.P.) व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कम्प्यूटर टेस्ट-** व्यक्तिगत साक्षात्कार-25 अंक एवं कम्प्यूटर टेस्ट- 10 अंक

- रिक्तियों की संख्या का तीन गुना अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु 25 अंक तथा कम्प्यूटर टेस्ट के 10 अंक निर्धारित किये जाएगें।
- राज्य के लब्ध प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों यथा आई.आई.टी, कानपुर, आई.आई.एम, लखनऊ अथवा ए.के.टी.यू., लखनऊ द्वारा प्रश्न पत्र तैयार करके कम्प्यूटर टेस्ट की परीक्षा ली जाएगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- उद्देश्य-कथन (Statement of purpose) को साक्षात्कार में मूल्यांकित किया जाएगा।
- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- साक्षात्कार के समय शैक्षिक योग्यता का परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवेदकों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान एवं कार्य के प्रति प्रतिबद्धता आदि का मूल्यांकन किया जाएगा।
- शासन द्वारा साक्षात्कार हेतु 'साक्षात्कार समिति' का गठन पृथक से किया जाएगा।

16. **अंतिम चयन:**

- अभ्यर्थियों के भारांक तथा उनके व्यक्तिगत साक्षात्कार के मूल्यांकन के प्राप्तांक के अधार पर अधिकतम 120 उद्यमी मित्र चयनित किये जाएगें, जिसमें 15 अभ्यर्थी प्रतीक्षा श्रेणी में रखे जाएगें। यह प्रतीक्षा सूची परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
- इन्वेस्ट यूपी में उद्यमी मित्रों की आवश्कता के अनुरूप वर्षानुवर्ष चयन में उक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

17. **महत्वपूर्ण शर्तें**

- मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र पूर्ण कालिक रोजगार का एक स्वरूप है। उद्यमी मित्र के रूप में कार्यरत कार्मिकों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त रोजगार, उत्तरदायित्व अथवा पूर्णकालिक शैक्षिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उद्यमी मित्र के रूप में रोजगार, किसी भी प्रकार से सरकारी रोजगार का स्थायी स्वरूप नहीं है।
- उद्यमी मित्रों द्वारा अपनी तैनाती के कार्यालय में लागू डियूटी के संबंध में लागू समय का पालन करना होगा।
- उद्यमी मित्रों को अतिरिक्त घंटे कार्य करने तथा अनेक बार यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है।
- कार्यभार ग्रहण करने के समय अभ्यर्थियों द्वारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने के बाद पुलिस सत्यापन भी किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- जब तक इन्वेस्ट यूपी द्वारा किसी अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित नहीं किया जाए, तब तक उद्यमी मित्र द्वारा निर्धारित कार्यकाल तक तैनाती स्थल पर ही कार्य/निवास करना होगा।
- नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- उद्यमी मित्रों को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन/ अभियान में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- जिला/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनाती के दौरान, उद्यमी मित्रों को निवेश के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु व्यापक यात्रा करनी पड़ सकती है।

18. **प्रबंधन**

- मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना का कार्यान्वयन एवं प्रबंधन आनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम या निवेश सारथी के माध्यम से इन्वेस्ट यूपी द्वारा किया जाएगा।

भवदीय,

अरविन्द कुमार

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय वीर सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।